

सं. 57/04/2019-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक: 31 मार्च, 2021

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कवरेज जिनकी नियुक्ति के लिए चयन दिनांक 01.01.2004 से पूर्व हो गया था परंतु सरकारी सेवा में कार्यभार दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात ग्रहण किया था।


इस विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2020 के समसंख्यक कार्यालय जापन के क्रम में, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें दिनांक 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था, और दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया था, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था।

2. उक्त कार्यालय जापन में, विकल्प के प्रयोग, नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन तय करने और संबंधित सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खातों को बंद करने की प्रक्रिया में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए कट-ऑफ की तारीखें निश्चित की गई थीं।

3. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देश में देशव्यापी लॉकडाउन और उक्त कार्यालय जापन में निर्धारित समय-सीमा के विस्तार के लिए कुछ मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संदर्भों के मददेनजर, इस विभाग के दिनांक 17.02.2020 के समसंख्यक कार्यालय जापन के आंशिक संशोधन में, उपर्युक्त कट-ऑफ तारीखों को निम्नानुसार विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है:

क्रम सं.	कार्य	17.02.2020 के का.जा. में उल्लिखित अंतिम तिथि	परिशोधित अंतिम तिथि
1	पुरानी पेंशन योजना के तहत कवरेज के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग	31.05.2020	31.05.2021
2	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर जांच और निर्णय	30.09.2020	30.09.2021
3	उनके विकल्प की स्वीकृति पर सरकारी सेवकों के एनपीएस खातों को बंद करना	01.11.2020	01.11.2021

4. इस विभाग के दिनांक 17.02.2020 के का.जा. में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।


(एस चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

- केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

4. रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली, सूचनार्थ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
8. एन.आई.सी को इस विभाग की वेबसाइट पर देने हेतु।